

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टांकरडा)

मु.न. 278 / 2012

- 1 श्रीमति मनभरी देवी पत्नि भगवान सहाय
- 2 भगवान सहाय पुत्र कानाराम  
जाति समस्त जाट निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रुडमल, जाति माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमति रुडी देवी पत्नि स्व० प्रभात
5. राकेश पुत्र स्व० प्रभात
6. मदन पुत्र स्व० प्रभात
7. अर्जुन पुत्र स्व० प्रभात
8. धन्नाराम पुत्र स्व० प्रभात
9. राई पुत्री स्व० प्रभात
10. सुजी पुत्री स्व० प्रभात
11. ममता पुत्री स्व० प्रभात  
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 07.05.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत टांकरडा में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21.06.2016 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने राजीनामें एवं बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावें को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि के हाल खाता संख्या 44 के आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 1.67 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.67 हैक्ट., व खाता संख्या 43 के हाल खसरा नम्बर 893 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


1. भगवानसहाय पुत्र कानाराम मनभरी धर्मपत्नि भगवानसहाय जाट निवासी कचोलिया खातेदार को ख.न. 893/3 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 893/5 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न.

उप खण्ड अधिकारी  
चौमूं जिला-जयपुर

895/3 रकबा 1.11 हैक्ट., ख.न. 894 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.42 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. हनुमान उर्फ हणमान पुत्र रूडमल जाति माली नि. चौमूं खातेदार को ख.न. 891/1 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.न. 891/3 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 893/1 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.न. 893/2 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.न. 893/6 रकबा 0.02 हैक्ट., 895/2 रकबा 0.31 हैक्ट. कुल किता 6 का कुल रकबा 1.15 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. रूडीदेवी पत्नि प्रभात, राकेश, मदन, अर्जुन, धन्नाराम, पुत्रान प्रभात, राई, सुजी, ममता पुत्रियां प्रभात जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 895/1 रकबा 0.25 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.25 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. भगवानसहाय पुत्र कानाराम, मनभरी धर्मपत्नी भगवानसहाय जाट निवासी कचौलिया हि. 2/5 हनुमान उर्फ हणमान पुत्र रूडमल हि0 3/5 जाति माली नि. चौमूं खातेदार को ख.न. 891/2 रकबा 0.05 हैक्ट., ख.न. 893/4 रकबा 0.05 हैक्ट., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.10 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।  
अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत टांकरडा पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
प्रियव्रत सिंह चारण  
अरि.ए.एस  
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

**मूल वाद में अन्तिम डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)**  
**(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टांकरडा)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व  
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

- 1 श्रीमति मनभरी देवी पत्नि भगवान सहाय
- 2 भगवान सहाय पुत्र कानाराम  
जाति समस्त जाट निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**वादीगण**

**बनाम**

1. हनुमान पुत्र रूडमल, जाति माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तह. चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमति रूडी देवी पत्नि स्व० प्रभात
5. राकेश पुत्र स्व० प्रभात
6. मदन पुत्र स्व० प्रभात
7. अर्जुन पुत्र स्व० प्रभात
8. धन्नाराम पुत्र स्व० प्रभात
9. राई पुत्री स्व० प्रभात
10. सुजी पुत्री स्व० प्रभात
11. ममता पुत्री स्व० प्रभात  
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नं० 278/2012

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. भगवानसहाय पुत्र कानाराम मनभरी धर्मपत्नि भगवानसहाय जाट निवासी कचौलिया खातेदार को ख.न. 893/3 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 893/5 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 895/3 रकबा 1.11 हैक्ट., ख.न. 894 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.42 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. हनुमान उर्फ हणमान पुत्र रूडमल जाति माली नि. चौमूं खातेदार को ख.न. 891/1 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.न. 891/3 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 893/1 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.न. 893/2 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.न. 893/6 रकबा 0.02 हैक्ट., 895/2 रकबा 0.31 हैक्ट. कुल किता 6 का कुल रकबा 1.15 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. रूडीदेवी पत्नि प्रभात, राकेश, मदन, अर्जुन, धन्नाराम, पुत्रान प्रभात, राई, सुजी, ममता पुत्रियां प्रभात जाति माली सा. देह खातेदार को ख.न. 895/1 रकबा 0.25 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.25 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. भगवानसहाय पुत्र कानाराम, मनभरी धर्मपत्नी भगवानसहाय जाट निवासी कचौलिया हि. 2/5 हनुमान उर्फ हणमान पुत्र रूडमल हि० 3/5 जाति माली नि. चौमूं खातेदार को ख.न. 891/2 रकबा 0.05 हैक्ट., ख.न. 893/4 रकबा 0.05 हैक्ट., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.10 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

**उप खण्ड अधिकारी**  
**चौमूं जिला-जयपुर**

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत  
ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	1	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।